देवीसहाय बनाम अधिकारी तहसील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज दावा मु.नं. 93/2022
22-8-24	पत्रावली [illegible] उभय [illegible] अधिकारी [illegible] दौरे/ [illegible] कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30-8-24 को पेश हो। [signature]
30-8-24	~~[illegible] तारीख पेशी होने पर आज~~ पत्रावली पेश हुई। वकु. लाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10-9-24 को पेश हो। [signature]
10.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 09.10.2024 को पेश हो। [signature] (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) [stamp: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)]
09.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव में निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 10.10.2024 को पेश हो। [signature] (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) [stamp: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)]
10.10.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी [illegible] वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड का [illegible] योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है [illegible] वादपत्र को डिक्री [illegible] है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी [illegible] पत्रावली फैसल शुमार [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) [stamp: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
93 / 2022	2022 / 160	19.07.2022	10.10.2024

उनवान प्रकरण

1. देवी सहाय पुत्र साधूराम आयु 50 साल जाति रैगर निवासी झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल आबाद 133 ए, शेखावाटी नगर, रोड़ नम्बर 6, सीकर रोड़, जयपुर राजस्थान।
2. बन्शीधर पुत्र साधूराम आयु 62 साल जाति रैगर निवासी झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल आबाद 131 ए, शेखावाटी नगर, मार्ग नम्बर 5, वी.के.आई.ए. सीकर रोड़, जयपुर राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर , एड0 वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:48 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि तन ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 560 रकबा 0.63 हैक्टर, 568 रकबा 0.55 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1800 हैक्टर की खातेदारी में वादीगण के पिता का नाम लादू पुत्र डूंगा हिस्सा पूर्ण दर्ज है जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम साधु पुत्र डूंगा है। तन ग्राम सुरांणी पटवार हल्का कल्याणपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 0.35 हैक्टर, 570 रकबा 0.34 हैक्टर, 571 रकबा 0.22 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हैक्टर हिस्सा 1/2 की खातेदारी में वादीगण के पिता का वास्तविक नाम साधु पुत्र डूंगा दर्ज है। तन ग्राम भूरानपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी भू–अभिलेख निरीक्षक थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 121 ता 123, 162, 164, 166, 169, 170, 173 लगायत 177, 188 कुल किता 14 कुल रकबा 3.3200 हैक्टर हिस्सा पूर्ण की खातेदारी में वादीगण के पिता का वास्तविक नाम साधु पुत्र डूंगा ही दर्ज है। वादीगण के पिता का वास्तविक नाम साधु है तथा वादीगण के पिता के अन्य दस्तावेज निर्वाचन पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में यही वास्तविक नाम साधु पुत्र डुंगा दर्ज है तथा वादीगण के आधार कार्ड, बैंक खाता पास बुक, निर्वाचन पहचान पत्र आदि दस्तावेज में भी वादीगण के पिता का नाम साधु ही दर्ज है किन्तु उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी में वादीगण के पिता का नाम लादु दर्ज हो गया जो कि राजस्व कर्मचारियो के गलत अंकन के कारण राजस्व रिकार्ड में साधु को ग्रामीण बोलचाल की भाषा में साद्या पुकारने [illegible] रिकार्ड मे साद्या दर्ज हो गया और फिर राजस्व रिकार्ड [illegible] रिकार्ड में लादु दर्ज हो गया जो कि आज तक ल[illegible] है जिसके कारण वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

को पिता साधु की मृत्युपरान्त विरासत का नामान्तरण दर्ज करवाने व वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओ में परेशानी हो रही है तथा किसान कार्ड बनवाने में परेशानी आ रही है इसलिये कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण के पिता का नाम लादू पुत्र डुंगा के स्थान पर साधु पुत्र डुंगा घोषित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपपत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि तन ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 560 रकबा 0.63 हैक्टर, 568 रकबा 0.55 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1800 हैक्टर की खातेदारी में वादीगण के पिता का नाम लादू पुत्र डूंगा के स्थान पर वादीगण के पिता का नाम साधु पुत्र डुंगा घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती हेतू भूमिधारी तहसीलदार को आदेश किए जाने का निवेदन वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में किया हैं।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। रजिस्टर्ड डाक के तामील करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1845/भू.अ./23 दिनांक 09.10.2023 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का कल्याणपुरा की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम सुराणी पटवार मण्डल कल्याणपुरा के खाता संख्या– 367 खसरा [illegible] 560, 568 रकबा कमशः 0.63, 0.55 किस्म बारानी–3 खातेदार लादू पुत्र डूंगा [illegible] जाति रैगर सा. झाडली खातेदार रिकार्ड दर्ज है एवं ग्राम सुराणी पटवार मण्डल कल्याणपुरा के अन्य खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

संख्या– 158, खसरा संख्या– 569, 570, 571 रकबा क्रमश: 0.35, 0.34, 0.22 किस्म ... नी–3 में खातेदार का नाम साधुराम पुत्र डूंगाराम हिस्सा 1/2 जाति रैगर सा. ... डली खातेदार शेष बदस्तूर मुताबिक जमाबंदी रिकार्ड दर्ज है। जिसकी जमाबंदी की प्रति संलग्न है। मौके पर उपस्थित मौत–बिरानी से पूछताछ एवं प्रार्थी द्वारा मौके पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज नया मृत्युप्रमाण पत्र व पहचान पत्र आदि में मृतक खातेदार का नाम साधूराम पुत्र डूंगाराम पाया गया तथा उपरोक्त खाता संख्या–158 में भी मृतक खातेदार का नाम साधूराम पुत्र डूंगाराम जाति रैगर दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार मृतक खातेदार का नाम साधूराम पुत्र डूंगाराम होना सही पाया गया। वकील वादी ने वादपत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की दो जमाबंदीया, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा गिरदावरी 2012–2015, 2016–17 2018–2021, खतौनी सुराणी संम्वत 2017–2020, 2029–32, आधार वर्ष जमाबंदी सम्वत 2042, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, पटवारी हल्का कल्याणपुरा की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृर्शि भूमि खसरा नम्बर 560 रकबा 0.63 हैक्टर, 568 रकबा 0.55 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1800 हैक्टर की खातेदारी में वादीगण के पिता का नाम लादू पुत्र डूंगा दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है, जबकि वादीगण के अन्य दस्ता... ...त निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, ग्राम... ...ी मृत्यु प्रमाण पत्र में वादीगण के पिता का नाम साधुराम पुत्र डूंगाराम तथा ... के मतदाता फोटो पहचान पत्र,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

आधार कार्ड, भारतीय स्टेट बैंक की पासबुक में वादीगण के नाम के आगे पिता का नाम साधुराम दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का कल्याणपुरा की फर्द मौका जॉच रिपोर्ट में भी वादीगण के पिता का नाम लादू पुत्र डूंगा के स्थान पर साधु पुत्र डूंगा नाम सही होना पाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादीगण के पिता का नाम लादू पुत्र डूंगा के स्थान पर साधु पुत्र डूंगा शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 560 रकबा 0.63 हैक्टर, 568 रकबा 0.55 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1800 हैक्टर की खातेदारी में वादीगण के पिता का नाम लादू पुत्र डूंगा के स्थान पर साधु पुत्र डुंगा घोषित किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दुरूस्त किये ज़ाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.10.20[illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:48 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)